

95
(भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड 3, उपखण्ड (II) में प्रकाशनार्थ)

फा.सं. 24/27/2002-आईएफ-1

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

21 जनवरी, 2013

नई दिल्ली, -----

01 माघ, 1934 (शक)

अधिसूचना

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पिनाक रंजन चक्रवर्ती, सचिव (ई.आर.), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को अगले आदेशों तक श्री सुधीर व्यास के स्थान पर भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नामित करती है।

एस. गोपाल कृष्ण

(एस. गोपाल कृष्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23748736

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।